भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 6480/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 29 फरवरी, 2024

वित्तीय निविदा का परिणाम

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023–24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के अध्याय–4 के नियम–20 (1), (2) एवं (4) में राजस्व नदी तल उपखनिज लॉटों की घोषणा किये जाने, घोषित उपखनिज लॉटों का ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के प्राविधानों के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4842/र0ख0ला0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023–24, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के द्वारा विज्ञप्तिकरण हेतु प्रदत्त स्वीकृत के क्रम में कार्यालय के निविदा आमंत्रण प्रपत्र संख्या 4895/UTR_015/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 19.12.2023 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम पौन्टी इन्द्रेली नामें तोक, यमुना नदी के क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा 10326 मध्ये रकवा 0.375 है0 उपखनिज क्षेत्र हेतु प्रति वर्ष उपखनिज की निकासी की मात्रा 20250 टन एवं आधार मूल्य रू0 14,17,500.00 निर्धारित करते हुए, उपखनिज क्षेत्र को नियमावली के नियम 20(2) के प्रावधानानुसार 05 है0 से कम क्षेत्रफल हेतु राज्य के मूल निवासी/निवासियों की समितियों/फर्म/कम्पनियों को 05 वर्ष की अवधि हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन के लिए तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा में इच्छुक बोलीदाताओं हेतु निर्धारित समय–सारणी के अनुसार ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसमें न्यूनतम 03 अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के आदेश संख्या 5485/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 12.01.2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 5542/UTR_015/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 18.01.2024 के द्वारा आमंत्रित पुनः ऑनलाईन निविदा में अर्ह निविदादाता प्राप्त न होने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2024 के द्वारा उक्त लॉट की निविदा की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। निविदा आमंत्रण संख्या 6127/UTR_015/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक 15.02.2024 के द्वारा पुनः ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी, जिसके क्रम में तकनीकी निविदा निर्धारित तिथि दिनांक 23.02.2024 (शुक्रवार) को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति के द्वारा खोली गयी, जिसका परिणाम दिनांक 24.02.2024 को घोषित किया।

निदेशालय के पत्र संख्या 6421/उ0ख0/भू0खनि0नि0/ई–निविदा तकनी0नि0/2023–24, दिनांक 24 फरवरी, 2024 के द्वारा निविदा समिति की संस्तुति के दिनांक 23.02.2024 के अनुसार जनपद उत्तरकाशी की तहसील बडकोट के ग्राम पौन्टी इन्द्रेली नामें तोक, यमुना नदी के क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(1) जलमग्न खसरा 10326 मध्ये रकवा 0.375 है0 उपखनिज क्षेत्र की तकनीकी निविदा में निम्न निविदादाताओं को सफल घोषित किया गया :–

क्र0सं0	निविदादाताओं का नाम	तकनीकी निविदा का परिणाम
1	2	3
1	असवाल इन्टरप्राईजेज	अभिलेख पूर्ण, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम–20(16) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सफल घोषित।

ई–निविदा सह ई–नीलामी की तकनीकी निविदा में सफल घोषित निविदाकारों की वित्तीय निविदा दिनांक 24.02.2024 समय अपराह्न 4.00 बजे खोली गयी, जिसका परिणाम निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	बोलीदाताओं का नाम	वित्तीय निविदा में प्राप्त उच्चतम बोली (रू0 में)	वित्तीय बोली में प्राप्त उच्चतम बोली के अनुसार H1 का परिणाम (रू0 में)
1	2	3	4
1.	असवाल इन्टरप्राईजेज	14,27,625.00	H1

उपरोक्तानुसार ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के सुसंगत नियम 25(1) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1 घोषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार वित्तीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने एवं सफल बोलीदाताओं (H1 से H3 तक) की घोषणा किये जाने के उपरान्त सर्वप्रथम वित्तीय निविदा के सफल बोलीदाताओं में एच–1 बोलीदाता को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा

Scanned with OKEN Scanner

धरोहर राशि (Earnest Money) के अतिरिक्त धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Money) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। एच0-1 बोलीदाता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत यदि उक्त धनराशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित की जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जब्त करते हुए उनके विरूद्ध नियम-23(2)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा कोटिक्रम में एच-2 बोलीदाता को एच-1 द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली पर खनन पट्टा लिये जाने तथा उच्चतम बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (पूर्व में जमा धरोहर धनराशि (Earnest Monery) की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि) प्रतिभूति धनराशि (Security Monery) के रूप में 15 कार्यदिवसों में एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया कोटिक्रम में एच-3 तक अपनाई जायेगी। एच-3 द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत उक्तानुसार अनुपालन न किये जाने की दशा में ई-नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त घोषित करते हुए पुनः ई-नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 25(1) के प्राविधानानुसार असवाल इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री जगदीश सिंह असवाल पुत्र श्री सूरत सिंह असवाल, निवासी- ग्राम बलाडी पट्टी, मुगरसन्ती, तहसील बडकोट, जनपद उत्तरकाशी के H1 बोलीदाता घोषित होने के फलस्वरूप, उनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 14,27,625.00 (रू0 चौदह लाख सत्ताईस हजार छः सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि (Security Money) उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 3,56,906.00 (रू0 तीन लाख छप्पन हजार नौ सौ छः मात्र) आंगणित होती है, नियमावली के उक्त नियम-25(1) में किये गये प्राव्धानुसार H1 बोलीदाता के द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आधार मूल्य रू0 14,17,500.00 के 25 प्रतिशत के समतुल्य रू0 3,54,375.00 के सापेक्ष पंजाब नेशनल बैक द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में निर्गत एफ0डी0आर0 संख्या 595600PU00013606, दिनांक 29.01.2024, रू0 3,60,000.00 (रू0 तीन लाख साठ हजार मात्र) के द्वारा निदेशालय में जमा की गई है, के अन्तर की धनराशि (रू0 3,56,906.00 – 3,60,000.00 = +3094.00) रू0 +3094.00 (रू0 तीन हजार चौरानवें मात्र) अधिक है, उक्त अधिक जमा की गयी धनराशि वापस लिया जाना है तो उच्चतम बोली की धनराशि रू0 14,27,625.00 की धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि उच्चतम बोली का 25 प्रतिशत रू0 3,56,906.00 के समतुल्य नवीन एफ0डी0आर0 के रूप में जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बंधक हो, जमा की जानी होगी, के जमा किये जाने पर पूर्व जमा एफ0डी0आर0 वापस कर दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि को खनन पट्टा स्वीकृति के उपरान्त पट्टाधनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

अतः H1 बोलीदाता असवाल इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री जगदीश सिंह असवाल पुत्र श्री सूरत सिंह असवाल, निवासी- ग्राम बलाडी पट्टी, मुगरसन्ती, तहसील बडकोट, जनपद उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में 15 कार्यदिवस के अन्तर्गत अपनी सहमति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार नियमावली के नियम 25(2) के प्राविधानानुसार H1 बोलीदाता के पक्ष में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन किये जाने, खनन योजना तैयार किये जाने, पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 (यदि आवश्यक हो) की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया जा सकें।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

संख्याः 6480 / उ0ख0 / भू0खनि0नि0 / वि0निवि0परि0 / 2023-24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद उत्तरकाशी।
4. एच-1 असवाल इन्टरप्राईजेज प्रो0 श्री जगदीश सिंह असवाल पुत्र श्री सूरत सिंह असवाल, निवासी- ग्राम बलाडी पट्टी, मुगरसन्ती, तहसील बडकोट, जनपद उत्तरकाशी।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner